महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

जनसंपर्क कार्यालय

PUBLIC RELATIONS OFFICE

हिंदी विवि के विधि विद्यार्थियों ने भारतीय न्याय संहिता मल्टीमीडिया प्रदर्शनी में की सहभागिता

वर्धा, 30 जुलाई 2024 : महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के विधि विभाग के विद्यार्थियों के लिए मंगलवार, 30 जुलाई को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, वर्धा में परियोजना कार्य एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके अंतर्गत जिलाधिकारी कार्यालय में केन्द्रीय सूचना ब्यूरो एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, वर्धा के संयुक्त तत्त्वावधान

में भारतीय न्याय संहिता, 2023 विषय पर आयोजित मल्टीमीडिया छायाचित्र प्रदर्शनी में विद्यार्थियों एवं शिक्षकों ने सहभागिता कर तीन नवीन कानून से संबंधित प्रदर्शनी का अवलोकन किया।

कार्यक्रम में विधिक सेवा प्राधिकरण, वर्धा के सचिव श्री विवेक देशमुख, ने विद्यार्थियों को विधिक सहायता संबंधी कार्यप्रणाली को साझा किया। विश्वविद्यालय के विधि विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो. जनार्दन कुमार तिवारी ने भी संबोधित किया। डॉ. युवराज खरे ने आभार व्यक्त किया।

इस दौरान विद्यार्थियों को निलेश निंबलवार ने जिला एवं सत्र न्यायालय में भ्रमण कराकर न्यायालय की प्रक्रियाओं से अवगत कराया जिसमें विद्यार्थी पक्षकारों, गवाहों आदि से परिचित हुए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को विधिक जागरूकता के साथ – साथ समाज में न्याय सेवाओं की तलाश और मांग के लिए सशक्त बनाना है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों का परियोजना कार्य के साथ–साथ व्यावहारिक प्रशिक्षण भी था। कार्यक्रम में आनंद भारती, डॉ. दिव्या शुक्ला, डॉ.परमानन्द राठौर, डॉ. अभिषेक सिंह, डॉ.विजय कुमार सिंह, डॉ. अभिषेक त्रिपाठी, डॉ. मनोज तिवारी, अमोल आड़े, विक्की लांडे, श्रीकांत पवार सहित बड़ी संख्या में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

पोस्ट हिंदी विश्वविद्यालय, गांधी हिल्स, वर्धा-442001 (महाराष्ट्र), भारत

ई-मेल/E-mail: mgahvpro@gmail.com, वेबसाइट/Website: www.hindivishwa.org

दूरभाष : +91-7152-252651 मोबाइल/Mobile : 9960562305